विश्व बैंक के वित्त पोषण से प्रस्तावित मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट

के लिये

पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रबंधन संरचना

तथा

पुनर्वास नीति एवं स्थानीय जनजाति प्रबंधन संरचना

कार्यकारी संक्षेपिका

05 अक्तूबर, 2016

अंतिम

अंक एक

मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड

मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम, नगरीय विकास एवं आवास विभाग

बीज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत

मध्य प्रदेश, भारत देश में भौगालिक क्षेत्रफल की दृष्टि से द्वितीय, जनसंख्या के मान से पंचम तथा नगरीकरण की दृष्टि से आठवें क्रम पर है। यद्यपि गत दशक में मध्य प्रदेश में नगरीकरण की दर ग्रामीण विकास दर से अधिक थी तथापि राष्ट्रीय नगरीकरण की तुलना में कम है तथा संभावना है कि आगामी 15 वर्षों में ये समान स्तर पर होंगे। वर्तमान में मध्य प्रदेश की कुल शहरी जनसंख्या 201 लाख है जोकि राज्य की कुल जनसंख्या का 28 प्रतिशत है तथा 476 शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है।

नगरीय अधोसंरचना विकास राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में सम्मिलित है। राज्य शासन द्वारा ज़ारी विज़न 2018 में जल प्रदाय को प्रमुखता दी गई है तथा सार्वभौमिक उपलब्धता एवं सेवा उन्नयन के लिये सुधार कार्य इसके मुख्य उद्देश्य हैं। विज़न 2018 के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं नगरीय अधोसंरचना उन्नयन के लिये राज्य शासन द्वारा अनेक कार्यक्रम आरंभ किये गये हैं: स्वयं तथा भारत शासन के वित्तपोषण से, बाह्य वित्त पोषण संस्थाओं यथा अंतर्राष्टीय विकास विभाग, विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक तथा केएफडब्ल्यू डेवलपमेंट बैंक की सहायता से।

विश्व बैंक के वित्त पोषण से प्रस्तावित मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का प्रमुख उद्देश्यों में नगरीय अधोसंरचना विकास एवं वित्त पोषण के लिये नगरीय निकायों की सहायता करने वाले राज्य स्तरीय संस्थानों का क्षमतावर्धन सम्मिलित है। उद्देश्य की पूर्ति के लिये प्रोजेक्ट में दो घटकों को चिन्हित किया गया है: 1. संस्थागत विकास, एवं 2. शहरी निवेश। घटक क्रं 2 में नगरीय अधोसंरचना विकास उपघटक सम्मिलित है जिसमें 25 नगरीय निकायों द्वारा योजनायें लेने के लिये रुचि प्रदर्शित की गई है। इन योजनाओं में 7 जल प्रदाय एवं 18 सीवरेज योजनायें सम्मिलित हैं।

मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यों की संवहनियता सुनिश्चित करने के लिये पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन संरचना तैयार किया गया है ताकि भारत सरकार एवं राज्य शासन के पर्यावरण एवं सामाजिक विनियमों तथा विश्व बैंक की सेफगार्ड नीतियों का पालन सुनिश्चित हो सके। मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत उप प्रोजेक्ट स्तर पर पर्यावरण एवं समाज पर पड़ने वाले प्रभावों के आंकलन, तथा नियोजन, प्रारुप रचना, निर्माण एवं संचालन चरणों के दौरान प्रबंधन के लिये यह प्रबंधन संरचना मार्गदर्शक होगी। प्रबंधन संरचना पर्यावरण एवं समाज पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों को चिन्हित करने में सहायक होगी तथा साथ ही पर्यावरण एवं सामाजिक आंकलन के लिये अनुगमित किये जाने वाली नीतियों एवं पद्धतियों के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शन के साथ साथ विभिन्न क्रियान्वयन संस्थाओं की भूमिका एवं उत्तरदायित्व निर्धारण में सहायक होगी।

मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी की पर्यावरण एवं सामाजिक नीति

मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी द्वारा किया जायेगा। मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी की नीति है कि उसके द्वारा क्रियान्वित की

जाने वाली सभी योजनाओं में पर्यावरणीय संवहनीयता एवं सामाजिक सहभागिता संबंधी सिद्धांतों को प्रोत्साहित किया जाये।

पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रबंधन संरचना (Environment and Social Management Framework)

मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी जोकि राज्य शासन का उपक्रम है, मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों के दौरान समक्ष आने वाली पर्यावरण एवं सामाजिक चुनौतियों को चिन्हित करने एवं उनके सर्वमान्य हल के लिये कटिबद्ध है। इसके लिये प्रोजेक्ट के मूल विषयों एवं घटक विशेष संबंधी विषयों को समझना आवश्यक है। इसके लिये मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी द्वारा निष्पक्ष सलाहकार के माध्यम से अध्ययन कराया गया ताकि मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से संबंधित पर्यावरणीय एवं सामाजिक विषयों को समझा जा सके। प्रथम वर्ष के 3 उप प्रोजेक्ट का विस्तृत पर्यावरणीय एवं सामाजिक आंकलन तथा सभी 25 नगरों का प्राथमिक अध्ययन किया गया। विश्लेषण के आधार पर एक ऐसी **''पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन संरचना''** तैयार की गई है जिसके माध्यम से भारत सरकार एवं राज्य शासन के पर्यावरण एवं सामाजिक विनियमों तथा विश्व बैंक की सुरक्षा नीतियों का पालन सुनिश्चित हो सके।

''पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन संरचना'' दो अंकों में हैः प्रथम अंक में मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी द्वारा अंगीकृत की जाने वाली नीतियां, आंकलन पद्धति एवं कार्यपद्धति दिये गये हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट प्राजेक्ट की समस्त गतिविधियां **''पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन संरचना''** के आधार पर विकसित एवं क्रियान्वित हों तथा संबद्ध चुनौतियों के प्रति पर्याप्त सुरक्षित हों। द्वितीय अंक में सभी उप प्रोजेक्ट नगरों की आधारभूत प्रोफाइल एवं चिन्हित उप प्रोजेक्ट की स्क्रीनिंग चेकलिस्ट दी गई है। **''पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन संरचना''** का एक उद्देश्य समस्त सहभागियों को नगरीय अधोसंरचना के विभिन्न चरणों में समक्ष आ सकने वाले संभावित पर्यावरण एवं सामाजिक चुनौतियों के आंकलन एवं उनके प्रबंधन की जानकारी देना भी है।

पर्यावरण विनियमन संरचना (Environment Management Framework)

मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत वित्त पोषित समस्त योजनाओं पर राष्ट्रीय एवं राज्य शासन के पर्यावरण नियम एवं विश्व बैंक की ऑपरेशनल नीतियों लागू होंगीं। लागू नियमों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैंः भारत शासन की ओर से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986; जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974; वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980; वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981; तथा विश्व बैंक से ऑपरेशन पॉलिसी

4.01 पर्यावरणीय आंकलन; ऑपरेशन पॉलिसी 4.04 प्राकृतिक आवास एवं ऑपरेशन पॉलिसी 4.11 भौतिक सांस्कृतिक संसाधन।

उप प्रोजेक्ट की पर्यावरणीय वर्गीकरण

नगरीय अधोसंरचना उन्नयन योजनाओं का प्रमुख लक्ष्य नगरीय क्षेत्र में जीवन स्तर को बेहतर बनाना होता है। तथापि योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की प्रकृति एवं उनके कार्यस्थलों के आधार पर इन योजनाओं का पर्यावरण पर विभिन्न प्रकार का प्रभाव भी अवश्य होता है। उदाहरण के लिये, भूगत सीवरेज योजना में शोधित निर्गमित पानी एवं स्लज़ निस्तार का प्रभाव पर्यावरण पर हो सकता है, वहीं दूसरी ओर जल प्रदाय योजना में प्राकृतिक जल स्रोतों से जल निकासी का प्रभाव अनुप्रवाह की ओर उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। अतः मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से संबद्ध संभावित विषयों तथा नगर विशेष के पर्यावरण प्रोफाइल को दृष्टिगत रखते हुये उप प्रोजेक्ट को संभावित प्रभावों की गंभीरता एवं वांछित विनियमों के आधार पर तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता हैः E_a, E_b एवं E_c ।

जल प्रदाय एवं सीवरेज योजनाओं के लिये पर्यावरण प्रबंधन योजना का व्यापक मार्गदर्शी प्रतिदर्श ''पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन संरचना'' में दिया गया है। योजना विशेष के पर्यावरणीय एवं सामाजिक आंकलन के आधार पर पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार की जायेगी।

उप प्रोजेक्ट का सामाजिक वर्गीकरण

मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से संबद्ध संभावित विषयों तथा नगर विशेष के सामाजिक प्रोफाइल को दृष्टिगत रखते हुये उप प्रोजेक्ट को संभावित प्रभावों की गंभीरता के आधार पर तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता हैः S_a, S_b एवं S_c । विभिन्न प्रभावित श्रेणियों तथा संभावित प्रभाव यथा भूमि, आवास, सामुदायिक संपत्ति आदि की क्षति; संपत्तिधारक, किरायेदार एवं लीज़धारक एवं गैर संपत्तिधारकों पर प्रभाव; आजीविका की क्षति; अतिसंवेदनशील परिवारों पर प्रभाव एवं अन्य प्रभाव, को कम करने के लिये उपाय ''पुनर्वास कार्ययोजना **(Resettlement Action Plan)**'' तैयार की गई है। यह ''पुनर्वास कार्ययोजना'' आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 एवं विश्व बैंक की ओपी 4.12 के अनुसरण में है तथा आवश्यकतानुसार पुनर्वास कार्ययोजना तैयार की जानी होगी। योजना विशेष के क्रियान्वयन के लिये नियुक्त संविदाकार **(Contractor)** द्वारा क्रियान्वयन के दौरान अंतिम डिज़ाइन के आधार पर पुनर्वास कार्ययोजना की समीक्षा की जायेगी तथा आवयकतानुसार संशोधन किया जा सकेगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सामाजिक एवं पर्यावरणीय वर्गीकरण केवल मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के उप योजनाओं पर लागू है तथा इसे विश्व बैंक के ओपी 4.01 में उल्लेखित वर्गीकरण से पृथक माना जाये। विश्व बैंक के सेफगार्ड नीति के अनुसार मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को ''ए'' श्रेणी दी गई है।

पुनर्वास नीति

मुख्य सिद्धांत

पुनर्वास नीति संरचना (Resettlement Policy Framework) का मूल उद्देश्य ऐसे उपाय सुनिश्चित करना है जिनसे योजना क्रियान्वयन के कारण प्रभावित होने वाले जन सामान्य पर कुप्रभाव न्यूनतम हों। **सामाजिक प्रबंधन संरचना** के अनुसार ऐसे विकल्पों का अन्वेषण आवश्यक होगा जिनसे अनिच्छा से होने वाले पुनर्वास से बचा जा सके अथवा उसे न्यूनतम किया जा सके। **पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन संरचना** विश्व बैंक की '' अनैच्छिक पुनर्वास नीति'' एवं भारत सरकार के ''भू अधिग्रहण, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास में न्यायोचित क्षतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013'' के मध्य सेतु भी है। आर्थिक एवं सामाजिक प्रभावों जिन्हें अल्प करने के उपाय सम्मिलित किये गये हैं, की प्रमुख श्रेणियां निम्नानुसार हैं:

1. भूमि अथवा/एवं आस्तियों की क्षति
2. आवास अथवा आवासीय भूमि की क्षति
3. आजीविका अथवा आजीविका संसाधनों की हानि
4. आजीविका संसाधनों, आवास आदि तक पहुंच न पाना
5. सामूहिक हानि यथा सामुदायिक संपत्ति/संसाधन एवं अन्य

विनियम

पुनर्वास नीति संरचना (Resettlement Policy Framework) से संबंधित देश एवं प्रदेश स्तरीय नियम निम्नानुसार हैं:

- भू अधिग्रहण, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास में न्यायोचित क्षतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013
- पथ विक्रेता ;आजीविका संरक्षण एवं पथ विक्रय विनियमद्ध अधिनियम 2009
- मध्य प्रदेश राज्य भूमि पट्टा नीति
- मध्य प्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति ;पट्टाधारी अधिकारों का प्रदान किया जानाद्ध अधिनियम 1984
- अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी ;वन अधिकारों की स्वीकृतिद्ध अधिनियम 2006
- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
- अनैच्छिक पुनर्वास के संबंध में विश्व बैंक की ऑपरेशनल पॉलिसी 4.12
- स्थानीय जनजाति के संबंध में विश्व बैंक की ऑपरेशनल पॉलिसी 4.10
- सूचना एवं प्रकाशन संबंधी विश्व बैंक की नीति

एन्टाइटलमेंट फ्रेमवर्क (Entitlement Framework)

भारत सरकार के ''भू अधिग्रहण, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास में न्यायोचित क्षतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013'' के वर्तमान संस्करण के आधार पर ''एन्टाइटलमेंट फ्रेमवर्क **(Entitlement Framework)**'' अंगीकृत किया गया है। योजना विशेष में स्थानीय परिस्थितियों, योजना के क्रियान्वयन के दौरान प्रभावित जन के सामाजिक स्थिति आदि के आधार पर एन्टाइटलमेंट फ्रेमवर्क में आवश्यक सुधार किये जायेंगे। निम्नानुसार तालिका में उल्लेखित अनुसार प्रभावित समस्त जन को एन्टाइटलमेंट फ्रेमवर्क के अंतर्गत क्षतिपूर्ति की पात्रता होगीः

क्रं	प्रभावित श्रेणी	एन्टाइटलमेंट फ्रेमवर्क	विवरण
1.	**संपत्तिधारकों पर प्रभाव – निजी संपत्ति का ह्रास**		
अ	कृषि, आवासीय, वाणिज्यिक अथवा अन्य भूमि का ह्रास	आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 कंडिका 26 के प्रावधानानुसार क्षतिपूर्ति 1. प्रति आवास एकमुश्त राशि अधिकतम रु 5 लाख अथवा 20 वर्ष तक उचित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जोड़ते हुये प्रति माह रु 2000 की वार्षिक पॉलिसी	निम्न में से जो अधिक होः 1. अनुबंध अथवा सेल डीड के पंजीयन के लिय भारतीय स्टैम्प अधिनियम 1899 के अनुसार बाजार दर, अथवा 2. विगत 3 वर्षों में संपन्न सेल डीड के अधिकतम 50 प्रतिशत के आधार पर ससमान भूमि की औसत विक्रय मूल्य, अथवा 3. जन निजी भागीदारी अथवा निजी कंपनियों के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि के लिये सहमति के अनुसार राशि तथा इसके अतिरिक्त 100 प्रतिशत क्षतिपूर्ति एवं अधिसूचना दिनांक से अवार्ड दिनांक तक 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज। नगरीय क्षेत्र से प्रभावित क्षेत्र के मध्य दूरी के लिये मध्य प्रदेश शासन द्वारा अंगीकृत गुणांक लागू होगा। निर्दिष्ट भूमि प्रभावित होने की दशा में प्रभावितों को भू स्वामी के बराबर क्षतिपूर्ति एवं अन्य लाभ दिये जायेंगे। वैकल्पिक पुनर्वास

क्रं	प्रभावित श्रेणी	एन्टाइटलमेंट फ्रेमवर्क	विवरण
			स्थल की दशा में अधोसंरचना सुविधाओं के लिये प्रावधान आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 के तृतीय सूची के अनुसार होंगे। आर एफ सी टी एल ए आर आर अधिनियम 2013 के अंतर्गत लीज़ अथवा क्रय का यथाचित चनन किया जायेगा। शेष भूमि अथवा संपत्ति के आवश्यकतानुसार अर्जन के लिये अर्जनकर्ता विचार कर सकते हैं।
ब	आवासीय संपत्ति का ह्रास	आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 के प्रावधानानुसार क्षतिपूर्ति 1. ढांचे का बाजार मूल्य नकद एवं 100 प्रतिशत क्षतिपूर्ति 2. पशुधन वाले परिवारों को एकमुश्त रु 25000 की वित्तीय सहायता 3. नगरीय क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वैकल्पिक आवास अथवा इसके मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता। ग्रामीण क्षेत्र में आई ए वाय के अंतर्गत वैकल्पिक आवास अथवा इसके मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता। 4. परिवहन भत्ता रु 50000 अधिकतम 5. प्रभावित सामग्री के प्रतिफल का अधिकार	आवास, भवन एवं अन्य अचल संपत्ति का मूल्य बिना अवमूल्यन के तथा आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 के अंतर्गत निश्चित किया जायेगा। नवीन आवास अथवा साइट के लिये स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क का भुगतान किया जायेगा। नगरीय क्षेत्रों में बहुमंजिला संकुलों में आवास दिया जा सकता है।
स	वाणिज्यिक संपत्ति का ह्रास	आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 के प्रावधानानुसार क्षतिपूर्ति 1. ढांचे का बाजार मूल्य नकद एवं 100 प्रतिशत क्षतिपूर्ति	वाणिज्यिक भवन एवं अन्य अचल संपत्ति का मूल्य बिना अवमूल्यन के तथा आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 धारा 29 के अंतर्गत निश्चित किया जायेगा।

क्रं	प्रभावित श्रेणी	एन्टाइटलमेंट फ्रेमवर्क	विवरण
		2. कारीगरों, छोटे व्यापारी एवं चिन्हित अन्य प्रभावितों को एकमुश्त रु 25000 की वित्तीय सहायता 3. परिवहन भत्ता रु 50000 अधिकतम 4. प्रभावित सामग्री के प्रतिफल का अधिकार	
द	आवासीय, वाणिज्यिक, कृषि संपत्ति के किरायेदारों का ह्रास	**आवासीय** 1. भू अधिग्रहण के कारण विस्थापितों को अवार्ड की तिथि से रु 3000 मासिक निर्वाह भत्ता, एक वर्ष तक 2. परिवहन भत्ता रु 50000 अधिकतम 3. प्रभावित सामग्री के प्रतिफल का अधिकार **वाणिज्यिक** 1. परिवहन भत्ता रु 50000 अधिकतम 2. कारीगरों, छोटे व्यापारी एवं चिन्हित अन्य प्रभावितों को एकमुश्त रु 25000 की वित्तीय सहायता **कृषि** 1. फसल काटने के लिये अग्रिम सूचना अथवा फसल के नुकसान के लिये कृषि विभाग द्वारा निर्धारित उत्पाद के लिये बाजार दर से मूल्य	
इ	वृक्षों, पौधों तथा फसल पर प्रभाव	पादपों, वृक्षों एवं फसल के मूल्य के आंकलन के लिये जिला कलेक्टर द्वारा आवश्यकतानुसार कृषि, वन, उद्यानिकी, रेशम उत्पादन अथवा अन्य किसी क्षेत्र से आवश्यकतानुसार अनुभवी विशेषज्ञ की नियुक्ति की जा	वृक्षों, फसल आदि की क्षतिपूर्ति आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 धारा 29 (2)& (3) के अंतर्गत निश्चित की जा सकेगी।

क्रं	प्रभावित श्रेणी	एन्टाइटलमेंट फ्रेमवर्क	विवरण
		सकेगी	
2.	**गैर संपत्तिधारकों – अवैध संपत्तियों– पर प्रभाव**		
अ	आवास का ह्रास	• ढांचे का बाजार मूल्य नकद अथवा शासकीय मानकानुसार न्यूनतम फर्श क्षेत्र का वैकल्पिक आवास • एकमुश्त क्षतिपूर्ति रु 18000 • परिवहन भत्ता रु 5000 अधिकतम • प्रभावित सामग्री के प्रतिफल का अधिकार	नगरीय क्षेत्रों में बहुमंजिला संकुलों में आवास दिया जा सकता है। वैकल्पिक आवास पति व पत्नी, यदि दोनों हों तो, के संयुक्त नाम से दिये जायेगे
ब	दुकान का ह्रास	• ढांचे का बाजार मूल्य • व्यापार के नुकसान के लिये एकमुश्त क्षतिपूर्ति रु 2500 • परिवहन भत्ता रु 5000 अधिकतम • प्रभावित सामग्री के प्रतिफल का अधिकार	
स	अतिक्रमण	• ढांचे का बाजार मूल्य • परिवहन भत्ता रु 5000 अधिकतम • प्रभावित सामग्री के प्रतिफल का अधिकार	वाणिज्यिक भवन एवं अन्य अचल संपत्ति का मूल्य बिना अवमूल्यन के निश्चित किया जायेगा।
3.	आय एवं आजीविका का ह्रास	3 माह के लिये न्यूनतम कृषि / औद्योगिक वेतन के बराबर मासिक क्षतिपूर्ति	भू स्वामी के पूर्णकालिक/स्थाई कृषि श्रमिक अथवा प्रभावित व्यवसाय के पूर्णकालिक कर्मी पात्र होंगे।
		आजीविका में अस्थायी व्यवधान के लिये कलेक्टर दर से न्यूनतम दैनिक भत्ता – औसतन 3 दिवस के लिये	केवल प्रभावित नियमित वेन्डर अथवा रोडसाइड दुकानदार जिनकी आजीविका प्रभावित हुई है, पात्र होंगे। निर्माण से पहले उन्हें सूचना दी जायेगी।
4.	**संवेदनशील विस्थापित जन पर**	कौशल विकास प्रशिक्षण जिसमें प्रशिक्षण, यात्रा एवं भोजन आदि के लिये वित्तीय सहायता सम्मिलित है।	प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा। एक से अधिक रुप से प्रभावित

क्रं	प्रभावित श्रेणी	एन्टाइटलमेंट फ्रेमवर्क	विवरण
	प्रभाव	प्रत्येक परिवार जिसकी आजीविका प्रभावित हुई है, के एक वयस्क सदस्य इस प्रशिक्षण के लिये पात्र होंगें। ऐसे नॉन टाइटल होल्डर परिवार जिनकी आजीविका/ आवास का हृास हुआ हो, रु 5000 की अतिरिक्त सहायता के पात्र होगें। इसके अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्रों से विस्थापित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों को आर एफ सी टी एल ए आरआर अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत रु 50000 की वित्तीय सहायता की पात्रता होगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों को जल प्रदाय/सीवरेज कनेक्शन शुल्क में छूट की पात्रता होगी।	संवेदनशील परिवार को केवल एक ही प्रकार के प्रभाव के लिये एकमुश्त सहायता दी जायेगी।
समुदायिक संपत्तियों पर प्रभाव			
		प्रभावित सामुदायिक संपत्तियों को समुदायों से विचार विमर्श कर यथासंभव किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जायेगा। जहां यह संभव न हो, नवीन सामुदायिक संपत्ति निर्मित की जायेगी।	

स्थानीय जनजाति नीति संरचना (Indigenous People Policy Framework)

मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित स्थानीय जनजाति सूची में सम्मिलित क्षेत्रों में योजनान्तर्गत प्रभावित होने वाली स्थानीय जनजाति के लिये विशेष योजना तैयार की जायेगी। जो क्षेत्र अधिसूचित नहीं हैं उनमें स्थानीय जनजाति नीति संरचना का प्रावधान किया गया है। उप योजनाओं के लिये क्षेत्र विशेष की जनजातियों से गहन विचार विमर्श के आधार पर योजना विशेष के लिये नीति अथवा योजना तैयार की जायेगी।

पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन संरचना संप्रयोग

पुनर्वास नीति एवं स्थानीय जनजाति नियोजन संरचना सहित पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन संरचना मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के सभी घटकों पर लागू होगा जिसमें समस्त उप प्रोजेक्ट के संचालन संधारण सहित तकनीकी सहायता एवं क्रियान्वयन सम्मिलित हैं।

उप प्रोजेक्ट तैयार करना

पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन संरचना के अनुसरण में पर्यावरण एवं सामाजिक आंकलन प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा जिसे मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी द्वारा मूल्यांकन के पश्चात् सहमत नीति एवं प्रक्रिया के आधार पर विश्व बैंक की अनापत्ति हेतु प्रेषित किया जायेगा। E_a एवं S_a वर्ग के उप प्रोजेक्ट के लिये ''टर्म्स आ्फ रेफरेन्स'' विश्व बैंक को भेजी जाकर अनापत्ति ली जायेगी। पर्यावरण एवं सामाजिक आंकलन एवं प्रबंधन योजना तथा पुनर्वास कार्ययोजना की अंतिम संस्करण इंगलिश एवं हिन्दी की गैर तकनीकी संक्षेपिका के साथ संबंधित नगरीय निकाय, नगरीय विकास एवं आवास विभाग/संबंधित विभाग की वैबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी तथा ऐसे स्थानों पर जहां स्थानीय निवासियों को सुलभ हो सके, उपलब्ध कराई जायेगी।

उप प्रोजेक्ट अनुमोदन

उप प्रोजेक्ट अनुमोदन के लिये निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगीः

अ. उप प्रोजेक्ट के पर्यावरणीय एवं सामाजिक पक्षों की समीक्षा मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी की राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट मैनेज़मेंट यूनिट द्वारा की जायेगी तथा उप प्रोजेक्ट का पर्यावरणीय एवं सामाजिक वर्गीकरण **पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन संरचना** के अनुसरण में किया जायेगा।

ब. तत्पश्चात् प्रत्येक उप प्रोजेक्ट के लिये **पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन संरचना** के अनुसार पर्यावरण प्रबंधन योजना तथा पुनर्वास कार्ययोजना अथवा लघु पुनर्वास कार्ययोजना तैयार की जायेगी।

स. ठेकेदार के साथ अनुबंध करने के पूर्व मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी की प्रोजेक्ट मैनेज़मेंट यूनिट, संबंधित प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट के प्रोजेक्ट मैनेज़र के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगी कि **पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन संरचना** में उल्लेखित अनुसार पर्यावरण एवं सामाजिक सेफगार्ड की वांछनाओं की पूर्ति हो गई है।

द. मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी योजना के प्रत्येक चरण में **पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन संरचना** में उल्लेखित अनुसार पर्यावरण एवं सामाजिक सेफगार्ड का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी तथा प्रोजेक्ट मैनेज़मेंट यूनिट संपूर्ण प्रक्रिया का सतत् पर्यवेक्षण करेगी।

इ. मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी, संबंधित प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट द्वारा उप प्रोजेक्ट का स्थल निरीक्षण कर तैयार की गई पर्यावरण एवं सामाजिक सेफगार्ड के वास्तविक क्रियान्वयन प्रतिवेदन के आधार पर पर्यावरण एवं सामाजिक घटकों का पर्यवेक्षण करेगी।

फ. पर्यावरण प्रबंधन योजना तथा पुनर्वास कार्ययोजना अथवा लघु पुनर्वास कार्ययोजना का वार्षिक अंकेक्षण स्वतंत्र संस्था द्वारा किया जायेगा तथा अंकेक्षण की अनुशंसाओं का क्रियान्वयन संबंधित उप प्रोजेक्ट तथा मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जैसा लागू हो, में किया जायेगा।

संगठनात्मक ढांचा

मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिये मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी क्रियान्वयन संस्था है। संबंधित नगरीय निकाय के लिये उप प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन, प्राधिकृत प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट द्वारा किया जायेगा। राज्य स्तर पर प्रोजेक्ट मैनेज़मेंट यूनिट गठित की गई है जिसमें **पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन संरचना** के क्रियान्वयन के लिये एक पर्यावरण यंत्री एवं एक सोशल एवं जेण्डर अधिकारी होंगें जिनकी भूमिका **पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन संरचना** के संबंधित अंश में वर्णित है। मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी की प्रोजेक्ट मैनेज़मेंट यूनिट पर्यावरण एवं सामाजिक सेफगार्ड क्रियान्वयन सुनिश्चित, अधिवीक्षण एवं पर्यवेक्षण करेगी। **पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन संरचना** अनुपालन एवं संबंधित प्रलेख/ मासिक प्रतिवेदन तैयार हों, इस कार्य के लिये प्रोजेक्ट मैनेज़मेंट यूनिट संबंधित प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट तथा नगरीय निकाय के साथ समन्वय करेगी। सेफगार्ड के क्रियान्वयन के लिये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट में भी समर्पित पर्यावरण अधिकारी होगा। प्रोजेक्ट मैनेज़मेंट यूनिट एवं प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट को प्रोजेक्ट मैनेज़मेंट सलाहकार की संवायें उपलब्ध होंगी। प्रोजेक्ट मैनेज़मेंट सलाहकार के दल में भी उपयुक्त योग्यता वाले एवं समर्पित पर्यावरण एवं सामाजिक विशेषज्ञ होंगे जो **पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन संरचना** अनुपालन एवं संबंधित प्रलेख/ मासिक प्रतिवेदन तैयार करने में सहायक होंगे। जिनकी भूमिका में संपूर्ण प्रक्रिया का सतत् पर्यवेक्षण करेगी।

क्षमता वर्धन/ प्रशिक्षण

मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी, उप प्रोजेक्ट क्रियान्वयन में पर्यावरण एवं सामाजिक सेफगार्ड एवं तकनीकी पक्षों के संदर्भ में सभी सहभागियों जिनमें ठेकेदार, नगरीय निकाय, प्रोजेक्ट मैनेज़मेंट यूनिट एवं प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट के कर्मी सम्मिलित हैं, के क्षमतावर्धन करने के लिये विचारशील है। तत्संदर्भ में नगरीय अधोसंरचना विकास के विभिन्न पक्षों में अनुभवी प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से वार्षिक ज़ागरुकता कार्यक्रम, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनुभव सहभागिता कार्यक्रम आदि किया जाना प्रस्तावित है।

ऑरियेन्टेशन कार्यक्रमों, प्रशिक्षण, क्रियान्वित किये जा चुके ससमान प्रोजेक्ट्स की विज़िट्स, कोर्स एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं सेमिनार/कार्यशाला आदि के माध्यम से मध्य

प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के कर्मियों तथा पर्यावरण एवं सामाजिक विशेषज्ञों का क्षमता वर्धन किया जाना भी प्रस्तावित है। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तकनीकी सहायता घटक के अंतर्गत आयोजित किये जायेंगे।

सहभागियों के साथ आयोजित कार्यशाला एवं प्रकाशन के परिणाम

विभिन्न चरणों में एवं विभिन्न स्तरों पर सहभागियों के साथ विचार विमर्श तथा केन्द्रित सामूहिक चर्चा के आधार पर **पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन संरचना** तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त दिनांक 11 जुलाई 2016 को संबंधित नगरीय निकायों में विभिन्न सहभागियों की कार्यशाला आयोजित की गई थी जिसमें प्रारुप **पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन संरचना एवं पुनर्वास नीति, स्थानीय जनजाति नियोजन संरचना एवं खरगोन, बुरहानपुर एवं छिंदवाड़ा नगरों के उप प्रोजेक्ट का पर्यावरण एवं सामाजिक विश्लेषण** का प्रस्तुतिकरण किया गया एवं सहभागियों के विचार जाने गये। कार्यशाला में सहभागियों ने गैर संपत्ति धारकों के लिये किये गये प्रावधानों की प्रशंसा की तथा **पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन संरचना** से सहमति व्यक्त की।

सहभागियों के विचार जानने के उद्देश्य से प्रारुप **पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन संरचना एवं पुनर्वास नीति, स्थानीय जनजाति नियोजन संरचना एवं खरगोन, बुरहानपुर एवं छिंदवाड़ा नगरों के उप प्रोजेक्ट का पर्यावरण एवं सामाजिक विश्लेषण** नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय की वैबसाइट www.mpurban.gov.in तथा मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी की वैबसाइट www.mpudc.co.in पर अपलोड की गई है एवं संबंधित निकायों में रखी गई है।

राज्य स्तर पर भी संबंधित सहभागियों के साथ दिनांक 7 सितम्बर 2016 को प्रारुप **पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन संरचना** पर चर्चा की गई। विभिन्न स्तरों पर किये गये डिस्क्लोज़र एवं चर्चा के दौरान प्राप्त विचारों को समाहित करते हुये इंगलिश एवं हिन्दी में कार्यकारी संक्षेपिका के साथ अंतिम **पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन संरचना** का पुनः प्रकाशन किया गया है।

शिकायत निवारण प्रक्रिया (Grievance Redress Mechanism)

योजना क्रियान्वयन के दौरान आमजन की शिकायत निवारण के लिये शासन के आदेश द्वारा स्थानीय स्तर पर एक समिति का गठन किया जायेगा। भूमि अधिग्रहण संबंधी विषय पर प्राप्त शिकायतों का निवारण संबंधित अधिनियम के अंतर्गत किया जा सकेगा।

प्रभावित जन नगरीय निकाय, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट अथवा संविदाकार को शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायतकर्ता शिकायत का पंजीयन इस हेतु निमित्त स्थल पर स्वयं अथवा दूरभाष पर कर सकता है। शिकायत में शिकायतकर्ता को शिकायत का क्षेत्र व कारक उल्लेखित करना और स्वयं का पता एवं संपर्क देना अनिवार्य होगा। भ्रष्टाचार संबंधी शिकयत इस समिति के कार्यक्षेत्र में नहीं होंगी।

शिकायतों का निवारण यथासंभव शिकायत प्राप्त होने के 48 घंटों में किया जा सकेगा। तकनीकी कारणों से विलम्ब की स्थिति में शिकायतकर्ता को सूचित किया जायेगा। प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट में योजना के प्रभारी अंभियंता ही शिकायत निवारण के नोडल अधिकारी होंगे। शिकयत निवारण समिति की बैठक आवश्यकता के अनुसार तथा ऐसे स्थान पर जो शिकायत निवारण के लिये उचित प्रतीत हो, आयोजित की जा सकेगी।

शिकायत प्रोजेक्ट मैनेजर को संबोधित होगी तथापि शिकायत निवारण का उत्तरदायित्व संबंधित अभियंता का होगा। उपरोक्तानुसार समय सीमा में निवारण न होने की दशा में प्रकरण शिकायत निवारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। यदि शिकायतकर्ता समिति के निर्णय अथवा शिकायत के निवारण से संतुष्ट नहीं है तो वह मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर दूरभाष क्रं 181 अथवा cmhelpline.mp.gov.in/schemes.html पर शिकायत कर सकता है।